संख्या-153/2025/I/1127864/2025/71-1002/5/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 31 अक्टूबर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में डॉ0 भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2025-26/251, दिनांक 11.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2961.48 लाख के सापेक्ष रू0 600.00 लाख की वित्तीय निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-142/2024/I/798770/2024/71-1002/5/2022 दिनांक 18.11.2024 द्वारा डॉ0 भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2961.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 600.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 2361.48 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **डॉ0 भीमराव रामजी आंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कन्नौज परिसर में श्रेणी-4 एवं 5 के नवीन आवासों के निर्माण कार्य** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2961.48 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-56-राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित रू0 500.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-789-04-राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्रावधानित रू0 100.00 लाख अर्थात् कुल रू0 600.00 लाख को प्रश्नगत कार्य हेतु **अनुवर्ती किश्त** के रूप में **रू0 600.00 लाख (रू0 छः करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर एवं बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-142/2024/I/798770/2024/71-1002/5/2022 दिनांक 18.11.2024 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031055600 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037890400 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।